

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 08.01.2018

गिरफ्तारी वारण्ट में दो

वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफ्तारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 08.01.18 को गिरफ्तारी वारंटी दिनेश शर्मा पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 42 साल निवासी चौड़ी गली जोंसगंज पुलिस थाना रामगंज अजमेर व श्रीमति काली पत्नी श्री रणजीत कंजर जाति कंजर उम्र 40 साल निवासी कंजर बस्ती रामगंज अजमेर आज दिनांक 08.01.18 को गिरफ्तार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने के आरोप में 6 गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज क्षेत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1 गज्जु उर्फ गजानन्द पुत्र स्व किशनलाल जाति सांसी उम्र 43 साल निवासी सांसीबस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 2- रणजीत उर्फ कल्वा पुत्र स्व दिलीप

जाति सांसी उम्र 28 साल निवासी सांसीबस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 3— बिहारी लाल पुत्र स्व किशनलाल जाति सांसी निवासी सांसीबस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 4— नरेश पुत्र सुरेश जाति सांसी उम्र 46 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 5 सिकन्दर पुत्र महावीर जाति मेहरात उम्र 25 साल निवासी सोमलपुर पुलिस थाना रामगंज अजमेर 6 चिराग शर्मा पुत्र स्व० चन्द किशोर जाति ब्राह्मण उम्र 29 साल निवासी सुभाष नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया ।

185 एम०वी एक्ट की कार्यवाही

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशों की पालना में आज दिनांक को 2 मोटर साईकिल चालकों द्वारा आम सडक पर नशे शराब में वाहन को लहराते हुए चलाते पाये जाने ब्रेथएनलाईजर मशीन से नशे शराब का परीक्षण किया तो नशें शराब में पाये जाने पर उक्त दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एम०वी एक्ट की कार्यवाही कर उक्त वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में खडा करवाया गया ।